

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 703
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015/2श्रावण, 1937 (शक) को दिया गया)

कंपनी निदेशकों पर अर्थदण्ड

703. श्री राघव लखनपाल :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2014-15 में कंपनी-वार वार्षिक रूप में 50 करोड़ रुपए से अधिक के कुल कारोबार वाली कंपनियों के निदेशकों को दण्ड/जेलबंदी का ब्यौरा क्या है; और
(ख) ऐसे निदेशकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है और कंपनी-वार इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री
(जेटली)

(श्री अरुण

(क) और (ख) : वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) करने वाली कंपनियों के निदेशकों को कारावास की सजा देने/आर्थिक दण्ड लगाने से संबंधित सूचना इसके साथ संलग्न है।

दिनांक 24.07.2015 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 703 के उत्तर के लिए अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रूपए से अधिक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के निदेशकों को आर्थिक दंड देने से संबंधित सूचना

क्र.सं.	कंपनी का नाम	निदेशकों के नाम	कंपनी अधिनियम, 1956 की जिस धारा का उल्लंघन किया गया	लगाया गया आर्थिक दंड	मामले की स्थिति
1	मैसर्स एक्सरबिया डेवलपर्स लिमिटेड	दिलीप रामकृष्ण खापरे, मनोज कुमार मुरलीधर कांबले	159,220(3)	कुल जुर्माना 3000/-रुपए (दो मामलों में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा प्रत्येक निदेशक पर 500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया)	कार्रवाई समाप्त
2	मैसर्स बोराकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सुरेश कन्नैयालाल राका, अशोक नामदेव राव रूकाड़ी, ओम प्रकाश पट्टनायक	159,220(3)	कुल जुर्माना 4000/-रुपए (दो मामलों में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा प्रत्येक निदेशक पर 500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया)	कार्रवाई समाप्त
3	मैसर्स ली टाका फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	प्रवीण कुमार कांतीलाल मुथा, सुरेश कन्नैयालाल राका, सजितान वलेरियन डिसूजा, ओम प्रकाश पट्टनायक	159,220(3)	कुल जुर्माना 5000/-रुपए (दो मामलों में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा प्रत्येक निदेशक पर 500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया)	कार्रवाई समाप्त
4	मैसर्स सिद्धांत सुगर मिल्स लिमिटेड	दिलीप ब्रह्मादेव माने	220(3)	कुल जुर्माना 1000/-रुपए (इस मामले में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा प्रत्येक निदेशक पर 500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया)	कार्रवाई समाप्त
5	मैसर्स पेगासस हेल्थकेयर लिमिटेड	राजेन्द्र छोटूभाई कपाडिया, सुरेश कन्नैया लाल राका,	159, 220(3)	कुल जुर्माना 4000/-रुपए (दो मामलों में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अलावा प्रत्येक	कार्रवाई समाप्त

		सजितान वलेरियन डिसूजा		निदेशक पर 500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया	
6	मैसर्स अतिबार इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	श्री समीर कुमार सरावगी, प्रबंध निदेशक, श्री बिभू प्रसाद भोई, कंपनी सचिव	220	कुल जुर्माना 4500/-रुपए (कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रबंध निदेशक एवं कंपनी सचिव पर 1500/-रुपए का जुर्माना लगाया गया	कार्रवाई समाप्त
7	मैसर्स एससीएल स्टील कारपोरेशन लिमिटेड	अविजित चक्रवर्ती, मानस कुमार दान, प्रशांत चटर्जी, जयदेव बिस्वास	56(3), 60बी/629ए, 67 (1) और (2)/629ए और धारा 68	कुल जुर्माना 1,95000/- रुपए (कंपनी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त प्रत्येक निदेशक पर 39000/-रुपए का जुर्माना लगाया गया	कार्रवाई समाप्त
8	मैसर्स मैन स्ट्रक्चरल्स प्रा.लिमिटेड	किशोर पी. रूंगटा, प्रबंध निदेशक	धारा 58ए (6) के साथ पठित धारा 58ए(1) और धारा 58(2)	वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के लिए कंपनी पर क्रमशः 1,89,31,294/-रुपए, 76,74,525/-रुपए, 12,59,131/-रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक को दो वर्ष का सामान्य कारावास और 5000/-रुपए का जुर्माना लगाया गया	कंपनी और इसके प्रबंध निदेशक ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जो अभी लंबित है।

9.	लखानी इंडिया लिमिटेड	अमरजीत कालरा, पूर्णकालिक निदेशक अरुण विरमानी, कंपनी सचिव	159/220	कुल 20,000/- रुपए का जुर्माना (प्रत्येक पूर्णकालिक निदेशक और सचिव 10,000/- रुपए प्रत्येक पर)	एक निदेशक, श्री परमेश्वर दयाल लखानी का मामला न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड को सौंपा गया है, क्योंकि न्यायालय ने उन्हें घोषित अपराधी करार दिया था।
10.	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू, वी. श्रीनिवास	309(1)और 628	प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 6 माह का सामान्य कारावास	चारों प्रमाणित दोषी निदेशकों ने अपील की है।
		रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू, वी. श्रीनिवास, मिनामपति	211 (7) और 628	प्रत्येक अभियुक्त के लिए 6 माह का सामान्य कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 1 माह का सामान्य कारावास	
		रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू, श्रीनिवास, मिनामपति	211 और 628	प्रत्येक अभियुक्त के लिए 6 माह का सामान्य कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 1 माह का सामान्य कारावास	
		रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू,	217(2क) और 628	प्रत्येक अभियुक्त के लिए 6 माह का सामान्य	

		मिनामपति		कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 1 माह का सामान्य कारावास	
		रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू, वी. श्रीनिवास,	211 (1) और (2) और 628	प्रत्येक अभियुक्त के लिए 6 माह का सामान्य कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 1 माह का सामान्य कारावास	
		रामालिंगा राजू, बी. रामाराजू, मिनामपति	220(1) और 628	प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर प्रत्येक को 6 माह का सामान्य कारावास	
11.	जेवीजी ग्रुप कंपनीज				श्रीमती नम्रता कृष्ण, निदेशक, जो न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार दिया था के विरुद्ध मामला अभी लंबित है। दूसरे निदेशक श्री डी.के. अग्रवाल अब जीवित नहीं है। अन्य निदेशक श्री
	जेवीजी होल्डिंग्स	उपेन्द्र सिंह	220 के साथ पठित 159	10,000/- रुपए का जुर्माना	
		एस.एल. मालू	217(5)	10,000/- रुपए का जुर्माना	
	जेवीजी होटल्स	एस.एल. मालू	217(5)	10,000/- रुपए का जुर्माना	
	जेवीजी स्टील	एस.एल. मालू	215	10,000/- रुपए का जुर्माना	
	जेवीजी हाउसिंग फाइनेंस	एस.एल. मालू	159/220(1)	दिनांक 31.03.2007 तक तुलन पत्र फाइल न करने के लिए 10,000/- रुपए का जुर्माना	
		एस.एल. मालू	159/220(1)	दिनांक 31.03.2006 तक तुलन पत्र फाइल न करने	

				के लिए 10,000/- रुपए का जुर्माना	विजय कुमार शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।
--	--	--	--	-------------------------------------	--
